न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 15/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. रवि पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण उम्र 21 वर्ष निवासी ब्राह्मणों वास बनाड पुलिस थाना बनाड़ जिला जोधपुर
2. मदन पुत्र छोलाराम जाति भील उम्र 40 वर्ष निवासी भीलों का वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता वाहन मालिक उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.10.2021 को श्री धनफूल मीणा आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बालोतरा को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि पचपदरा से जोधपुर जाने वाले हाईवे पर कल्याणपुर से पहले श्री राजेश्वर फिलिंग सेंटर के पास एक बोलेरो मैक्सीट्रक नंबर यूपी 12 एटी 0216 एवं टाटा 407 नंबर आरजे 04 जीए 1368 के चालक मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) बेच रहे हैं। इस पर पुलिस उप अधीक्षक श्री धनफूल मीणा आरपीएस मय हमरा जाब्ता श्री ओमप्रकाश कानि 973, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि 1643 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नंबर आरजे 04 यूए 4997 मय चालक मोहनसिंह कानि 1346 में मय अनुसंधान बॉक्स के कल्याणपुर कस्बे से पहले श्री राजेश्वर फिलिंग सेंटर के पास पहुंचकर वाहन को खड़ा कर देखा तो पाया कि श्री राजेश्वर फिलिंग सेंटर से आगे एक बोलेरो मैक्सीट्रक गाड़ी एवं एक टाटा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

407 गाड़ी जिसमें टैंक रखे दिखाई दिये। इस पर कानि श्री ओमप्रकाश 973 को एक पांच सौ रूपये का नोट जिसके नंबर 6VG358446 पर पुलिस उप अधीक्षक ने अपने लघु हस्ताक्षर कर उक्त नोट व एक प्लास्टिक की कैन देकर हिदायत की गई कि उपयुक्त वाहनों से बेचान करने वालों से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) कैन में भरवाकर उक्त पांच सौ रूपये का नोट देकर अपना दाहिना हाथ ऊपर कर इशारा करे। इस पर पुलिस उप अधीक्षक ने मय जाब्ता के रवाना होकर उक्त वाहनों के पास पहुंचकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) बेचने वाले दो व्यक्तियों को पकड़कर उनसे नाम–पता पूछा। उनमें से एक ने अपना नाम रवि पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल निवासी ब्राह्मणों का वास बनाड पुलिस थाना बनाड जिला जोधपुर व दूसरे ने अपना नाम मदन पुत्र छोलाराम जाति भील उम्र 40 साल निवासी भीलों का वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर होना बताया। उक्त दोनों व्यक्तियों ने बोलेरो मैक्सीट्रक नंबर यूपी 12 एटी 0216 में रखे टैंक एवं एक टाटा 407 नंबर आरजे 04 जीए 1368 में रखे टैंक में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) होना तथा उक्त दोनों वाहन अपने होने बताये। इस पर पुलिस उप अधीक्षक ने अपने निजी मोबाईल से मन कैलाशदान उनि थानाधिकारी पुलिस थाना कल्याणपुर को श्री राजेश्वर फिलिंग सेंटर के पास थाना से भीखाराम हैडकानि 872 मय कानि श्री रतीराम 1825 जरिये सरकारी जीप चालक श्री अनिल कुमार 455 के मौके की कार्यवाही करने हेतु कानि श्री सुरेन्द्र कुमार 1643 को स्वतंत्र गवाहान लाने की हिदायत कर रवाना किया गया। पुलिस उप अधीक्षक ने पास में ही स्थित श्री राजेश्वर फिलिंग सेंटर पर मौजूद लोगों से भी स्वतंत्र गवाह बनने के लिये कहा गया तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ। इस पर पुलिस उप अधीक्षक ने मौजूद जाब्ता में से श्री भीखाराम हैडकानि 872, कानि श्री रतीराम 1825 को स्वतंत्र गवाह मामुर कर उक्त बोलेरो मैक्सीट्रक गाड़ी नंबर यूपी 12 एटी 0216 को चैक करने पर उस पर रखे टैंक में 1755 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) भरा होना पाया गया। पास ही खड़ी टाटा 407 नंबर आरजे 04 जीए 1368 को चैक करने पर 1610 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) भरा होना पाया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों से उनके कब्जे में उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) रखने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं बेचने के संबंध में वैध लाईसेंस के बारे में पूछने पर उनके पास किसी प्रकार का वैध लाईसेंस होना नहीं बताया गया। जब्तशुदा वाहनों एवं उनमें भरे मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया। उक्तानुसार सीओ गुडामालानी की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0182 दिनांक 03.11.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, दोनो वाहन, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम रवि पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल निवासी ब्राह्मणों का वास बनाड पुलिस थाना बनाड जिला जोधपुर व दूसरे ने अपना नाम मदन पुत्र छोलाराम जाति भील उम्र 40 साल निवासी भीलों का वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण रवि एवं मदन के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1755 लीटर एवं 1610 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वाहन मालिक जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाहन मालिक के अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम रवि पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल निवासी ब्राह्मणों का वास बनाड पुलिस थाना बनाड जिला जोधपुर व दूसरे ने अपना नाम मदन पुत्र छोलाराम जाति भील उम्र 40 साल निवासी भीलों का वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अधिवक्ता वाहन मालिक द्वारा निवेदन किया कि उसके द्वारा वाहन को किराये पर दिया गया था तथा वाहन में परिवहन किये जाने वाले जब्तशुदा बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे हैं एवं उनके कब्जे से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु के संग्रहण के आरोप के प्रतिरक्षण स्वरूप उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1755 लीटर एवं 1610 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 1755 लीटर एवं 1610 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये 1755 लीटर एवं 1610 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। वाहन सं. बोलेरो मैक्सीट्रक गाड़ी नंबर यूपी 12 एटी 0216 के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन टाटा 407 नंबर आरजे 04 जीए 1368 को उनके वास्तविक स्वामि को सुपुर्द किये जाने हेतु जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कल्याणपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Kon

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर